

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक:- 04/STA-विविध-19/2018

3693

पटना, दिनांक- 4/6/18

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- **Contract Carriage** वाहनों को परमिट निर्गत करते समय अधिभार अध्यारोपण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-GSR, 16 दिनांक-07.10.1996 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त अधिसूचना में **Contract Carriage** वाहनों को परमिट निर्गमन पर परमिट शुल्क की राशि का 50 प्रतिशत अधिभार अध्यारोपित करने का प्रावधान है।

अतः निदेश दिया जाता है कि **Contract Carriage** वाहनों को परमिट निर्गमन के समय अथवा परमिट निर्गमन हेतु मुख्यालय को अनुशंसा करते समय, इसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

31.05.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

नमः

(क) सवारी गाड़ियों के लिये जो परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा निर्गत किये जाते हैं, उनमें दूरी के आधार पर निम्न रूप से अधिकार लगाया जाता है

(1)	1 कि० मी० से 50 कि० मी० की दूरी के लिये	कोई अधिकार नहीं
(2)	51 कि० मी० से 100 कि० मी० की दूरी के लिये	50 रुपये
(3)	102 कि० मी० से 150 कि० मी० की दूरी के लिये	100 रुपये
(4)	151 कि० मी० से 200 कि० मी० की दूरी के लिये	150 रुपये
(5)	201 कि० मी० से 250 कि० मी० की दूरी के लिये	200 रुपये
(6)	251 कि० मी० से 300 कि० मी० की दूरी के लिये	250 रुपये
(7)	301 कि० मी० से 350 कि० मी० की दूरी के लिये	300 रुपये
(8)	351 कि० मी० से 400 कि० मी० की दूरी के लिये	350 रुपये
(9)	401 कि० मी० से 450 कि० मी० की दूरी के लिये	400 रुपये
(10)	451 कि० मी० से 500 कि० मी० की दूरी के लिये	450 रुपये
(11)	501 कि० मी० से 550 कि० मी० की दूरी के लिये	500 रुपये
(12)	551 कि० मी० से 600 कि० मी० की दूरी के लिये	550 रुपये
(13)	601 कि० मी० से 650 कि० मी० की दूरी के लिये	600 रुपये
(14)	651 कि० मी० से 700 कि० मी० की दूरी के लिये	650 रुपये
(15)	701 कि० मी० से 750 कि० मी० की दूरी के लिये	700 रुपये
(16)	751 कि० मी० से 800 कि० मी० की दूरी के लिये	750 रुपये
(17)	801 कि० मी० से 850 कि० मी० की दूरी के लिये	800 रुपये
(18)	851 कि० मी० से 900 कि० मी० की दूरी के लिये	850 रुपये
(19)	901 कि० मी० से 950 कि० मी० की दूरी के लिये	900 रुपये
(20)	951 कि० मी० से 1,000 कि० मी० की दूरी के लिये	950 रुपये
(21)	1,000 कि० मी० से ऊपर की दूरी के लिये	1,000 रुपये
(ख)	कन्स्ट्रक्टेड कैरेज-इस प्रकार के वाहन पर परमिट शुल्क की राशि का 50 प्रतिशत अधिकार लगाया जाता है।	

अनुसूची II

क मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के शुल्कों के समतुल्य अधिकार की राशि आरोपित की जाती है जिसका द्वारा निम्न प्रकार है:-
 (क) अधिविधियों के अध्याय (III) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के आधार पर अधिकार राशि निम्न प्रकार होगी

निर्धारित शुल्क	अधिकार की राशि
1. नियम 30 के तहत सवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु नौचा शुल्क 20 रुपये	20.00
2. नियम 36 के तहत सवाहक अनुज्ञप्ति प्रतिस्थापन शुल्क 30 रुपये	30.00
3. नियम 34 के तहत सवाहक अनुज्ञप्ति पर प्रतिस्थापन शुल्क 10 रुपये	10.00
4. नियम 35 के तहत सवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिये शुल्क - 20 रुपये	20.00
5. नियम 37 के तहत अपील के लिये शुल्क - 20 रुपये	20.00
6. नियम 37 के तहत दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 20 रुपये	20.00
44 नियम के अध्याय IV के अधीन	
1. नियम 41 के नियम (i) में अपील के लिये शुल्क 50 रुपये	50.00
2. नियम 47 के तहत पदत सुविधा के लिए प्रति मोटरवाहन 10 रुपये	10.00
3. नियम 52 '2' के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र के विस्तार के लिये शुल्क 20 रुपये	20.00
4. नियम 53 प के अधीन अस्थायी निवृत्त प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए शुल्क 20 रुपये	20.00
5. नियम 58 '2' एवं '3' के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 10 रु०	10.00
6. नियम 58 के अधीन वाहन के निवृत्त की प्रविष्टियों की प्रति निवृत्त के लिये 10 रुपये	10.00
7. अस्थायी निवृत्त प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये 10 रुपये	10.00
8. योग्यता प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये निर्धारित शुल्क 7.50 रु०	7.50
9. 190 धारा 114 '1' के अन्तर्गत अतिभारित वाहनों से हटाने वाले सामानों के नबंदासीकरण के लिये प्रत्येक 100 कि० मी० या 0 भार पर 5 रु० प्रतिदिन	5.00
1. नियम 4 के अधीन शिफ्ट अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु प्रत्येक नौचा के लिये 20 रु०	20.00
2. चालक अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु प्रत्येक नौचा के लिये 50 रुपये	50.00
3. नियम 12 के अधीन अनुज्ञप्ति पर स्टै फोटो प्रतिस्थापन के लिये शुल्क 10 रुपये	10.00
4. नियम 3 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिये 30 रु०	30.00
5. नियम 18 के अधीन अधिप्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु प्रत्येक नौचा पर 20 रुपये	20.00
6. नियम 20 के अन्तर्गत अपील के लिये 30 रुपये	30.00
7. नियम 20 के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये 30 रुपये	30.00
8. नियम 21 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की प्रत्येक प्रति के लिये 10 रु०	10.00

Levied fee

Amount of
Surcharge

(1)	Under section 300 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20	Rs. 20
(2)	Under section 300 fee for conductor's of conductor's license replacement Rs. 30	Rs. 30
(3)	Under section 34 fee for replacement of photograph on conductor's license Rs. 10	Rs. 10
(4)	Under section 300 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20	Rs. 20
(5)	Under section 300 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20	Rs. 20
(6)	Under section 300 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20	Rs. 20
Section 44 under Chapter IV.....		
(1)	Under section 41 of sub-section (1) fee (air appeal Rs. 50	Rs. 50
(2)	Under section 47 fee for facility of copy of Motor Vehicle Rs. 10	Rs. 10
(3)	Fee for extension of C.F. Rs. 20 under section 52(2)	Rs. 20
(4)	Fee for temporary registration certificate and time extension Rs. 20 under section (i)	Rs. 20
(5)	Under section 58 (2) and (3) fee for copy of documents Rs. 10	Rs. 10
(6)	Under section 58 fee for the copy of entry of the registration of vehicles	Rs. 10
(7)	Fee for duplicate copy of temporary registration Rs. 10	Rs. 10
(8)	Fee for duplicate copy of the certificate of fitness Rs. 750	Rs. 750
190. Under section 114(i) fee for storage for the goods replaced from overload vehicles Rs. 51 for 100 kgs.		
Perday		
(1)	Under section 4 fee for enquiry for grant of learners/license Rs. 20	Rs. 20
(2)	Fee for enquiry for grant of driving license Rs. 50	Rs. 50
(3)	Under the section 12 fee for replacement of photograph attached in the license Rs. 10	Rs. 10
(4)	Under section 13 fee for duplicate copy of driving license Rs. 30	Rs. 30
(5)	Under section 18 fee for enquiry for grant of certificate Rs. 20	Rs. 20
(6)	Under section 20 fee for appeal Rs. 30	Rs. 30
(7)	Under section 20 fee for entry duplicate copy of document Rs. 30	Rs. 30
(8)	Under section 21 fee for entry description of driving license of driving licence Rs. 10	Rs. 10
(9)	Under sub-section 3 of section 8 fee for issuing medical certificate Rs. 10	Rs. 10

By order of the Govt. of Bihar,
S N Thakur
Joint Secretary to Government.

विहार सरकार
परिवहन
पत्रांक. 1424

प्रेषक:

श्री जियालाल आर्य,
आयुक्त एवं सचिव,

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त सह अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/
सभी उप-परिवहन आयुक्त सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।

पटना, दिनांक 14 फरवरी 96

विषय:- परिवहन सेक्टर में परमितों के उदारीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी नीति निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 10.01.96 को परिवहन विभाग में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में लिये गये निर्णयों के क्रम में निदेशानुसार बुझे रहना है कि सरकार ने परिवहन सेक्टर में परमितों के उदारीकरण एवं परमित निर्गमन की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का नीतिगत निर्णय लिया है। विभाग की यह मंशा है कि यथानुसार परमितों के आवेदनों के निस्तार कालबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जाय कि इच्छुक व्यक्तियों के नियमानुसार सीधे परमित सुलभ हो सके। इस क्रम में विभिन्न स्तरों पर निम्न कार्यवाई की जाती है:-

1. परमितों के प्रक्रिया की उदार बनाने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत अवतक निर्गत परमितों के अनुसार सभी क्लॉ की जाँच परताल करके विधायित सगय सीमा के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करे कि सभी क्लॉ गेटरेकुल हो तथा उनके राष्ट्रीयकृत मार्गों 40 कि० मी० से ज्यादा नहीं है। जो मार्क इन दोनों क्लॉ के पूरा नहीं करते हैं उनपर निर्गत परमित को रद्द कर दिया जाय तथा क्लॉ के पूरा करने वाले मार्गों पर उदार ढंग से परमितों का निर्गमन किया जाय।

गाड़ी का प्रकार	भुगतने की फीस
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर के साथ मोटर कैब (कार) के लिए एक या अधिक क्षेत्र के लिए।	— 10000.00 ₹
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार) के लिए स्पेशल परमिट के साथ एक अथवा अधिक क्षेत्र हेतु।	— 15000.00 ₹
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ एक क्षेत्र के लिए।	— 3000.00 ₹
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो क्षेत्रों के लिए।	— 4000.00 ₹
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो से अधिक क्षेत्रों के लिए।	— 5000.00 ₹
निजी वाहक (प्राइवेट कॅरियर)	— 3000.00 ₹
लोक वाहक (पब्लिक कॅरियर) एक क्षेत्र के लिए	— 3000.00 ₹
लोक वाहक (पब्लिक कॅरियर) दो क्षेत्रों के लिये	— 5000.00 ₹
लोक वाहक (पब्लिक कॅरियर) दो से अधिक क्षेत्रों के लिये	— 7000.00 ₹
निजी मोटरकार चालक को छोड़कर 9 (नौ) से अधिक यात्रियों को ढोने योग्य	— 1000.00 ₹

(क) परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या शर्तों के विचलन हेतु आवेदन पत्र नीचे विहित फीस के साथ दाखिल किये जायेंगे:-

गाड़ी का प्रकार	भुगतने की फीस
विशेष स्टेज कॅरेज	— 500.00 ₹
स्टेज कॅरेज सेवा	— 500.00 ₹
कन्ट्रैक्ट कॅरेज (आकस्मिक अथवा विशेष)	— 150.00 ₹
निजी वाहक (प्राइवेट कॅरियर) परमिट	— 150.00 ₹
लोक वाहक (पब्लिक कॅरियर) परमिट	— 200.00 ₹
निजी मोटर कार (भाड़े या पारितोषिक के लिए व्यवहृत चालक एवं सवाहक को छोड़कर नौ से अधिक बैटान क्षमता के साथ) के लिए।	— 150.00 ₹

(ख) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिये देय फीस निम्नलिखित होगी :-

गाड़ी का प्रकार	भुगतने की फीस
1 राज्य के भीतर एक क्षेत्र के मार्ग अथवा मार्गों या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिए।	— 2000.00 ₹
2 राज्य के भीतर एक से अधिक क्षेत्र में मार्ग अथवा मार्गों या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिए दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के लिए।	— 2500.00 ₹
3 राज्य के भीतर मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में।	— 3000.00 ₹
4 अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन शुल्क।	— 500.00 ₹
5 स्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन शुल्क।	— 500.00 ₹

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-31, नियम-82, नियम-96 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

31. चालक/संवाहक के बैज निर्गत करने का फीस :-

- | | |
|------------------------------|------------|
| (i) चालक के बैज हेतु फीस। | - 100.00 ₹ |
| (ii) संवाहक के बैज हेतु फीस। | - 100.00 ₹ |

82. स्वीकृत अस्थायी/स्थायी किसी तरह के परमिट की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व, नवीकरण हेतु आवेदन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें असफल होने पर निम्नलिखित विलम्ब फीस भुगतने होगी :-

	अवधि	विलम्ब फीस
(i)	परमिट की वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर।	00.00 ₹
(ii)	परमिट की वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के अन्दर।	300.00 ₹
(iii)	परमिट की वैधता की समाप्ति के 30 दिन के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर।	600.00 ₹
(iv)	परमिट की वैधता की समाप्ति 60 दिनों के बाद परन्तु 90 दिनों के अन्दर।	1200.00 ₹
(v)	परमिट की वैधता की समाप्ति के 90 दिनों के बाद	90 दिन के लिए 2400.00 ₹ + प्रति माह 300.00 ₹ या 90 दिन से अधिक जो भी अधिक हो, 10000.00 ₹ अध्यक्षीन।

96. विभिन्न जाँचों के लिए फीस:-

- | | | |
|------|---|------------|
| (i) | नये प्रकार के टैक्सी मीटर की जाँच, पूर्ण परीक्षण के लिये | - 300.00 ₹ |
| | नया-स्टाफ की जाँच के लिए | - 60.00 ₹ |
| (ii) | अनुमोदित टैक्सी मीटर को अपूर्ण जाँच अनुमोदित प्रकार के किसी मीटर की अपूर्ण जाँच हेतु फीस। | - 60.00 ₹ |
| | प्रत्येक दुबारा जाँच के लिए | - 30.00 ₹ |

4. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-101 के उप-नियम (9) में प्रयुक्त शब्द "एक हजार रुपये" शब्द "तीन हजार रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-103 के बाद निम्नलिखित नया नियम-103क एवं 103ख क्रमशः जोड़े जायेंगे :-

103.क. अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की स्वीकृति:-

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (1) | बिहार मोटरगाड़ी नियमावली के नियम-103 के उप-नियम (4) के तहत संग्रहण, अग्रेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति के निर्गमन तथा प्रत्येक नवीकरण के लिये निर्धारित प्रतिभूति फीस। | - 3000.00 ₹ |
| (2) | बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-103 (4) के अधीन अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और प्रत्येक नवीकरण के लिये आवेदन फीस। | - 450.00 ₹ |
| (3) | अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और प्रत्येक नवीकरण के लिये अनुज्ञप्ति फीस। | - 1500.00 ₹ |
| (4) | संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्ता को मूल स्थापना अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये आवेदन फीस। | - 3000.00 ₹ |
| (5) | संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्ता को पूरक स्थापना अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये फीस। | - 2500.00 ₹ |
| (6) | ऐसे अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के खो जाने, बरबाद हो जाने, फट जाने या विरूपित हो जाने के मामले में द्वितीयक प्रति हेतु फीस। | - 2000.00 ₹ |

22nd May 2017

No. 02/C.M.T.(Fee Amendment)-35/2014-2703/ tr.—In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act 59,1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through notification No-984, dated 17.11.2016

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This rule may be called Bihar Motor Vehicle (Amendment) rules, 2017. It shall come into force with immediate effect.

(2) It shall be enforced to the whole of the state of Bihar.

2. Rule-74 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following:-

74-The following application fee payable under section V of Act.

Payable fee for issuance or renewal or change in the condition of a permit other than temporary permit for five years :-

Type of vehicle	Payable fee
Special Stage carriage	– Rs. 7000.00
Stage carriage service	– Rs. 7000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab, for one region.	– Rs. 3000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab, for two regions.	– Rs.4000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab for more than two regions.	– Rs.7000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter, for one region	– Rs.2000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter for two regions	– Rs.4000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter for more than two regions.	– Rs.6000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (Car) without meter, for one or more regions.	– Rs.10000.00
Contract carriage (casual or special) for Motor cab (Car) for one or more regions with special permit.	– Rs.15000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (other than a Car) with or without meter for one region.	– Rs.3000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (other than a Car) with or without meter, for two regions.	– Rs.4000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (other than a Car) with or without meter for more than two regions	– Rs.5000.00
Private carrier.	– Rs.3000.00
Public Carrier for one region.	– Rs.3000.00
Public carrier for two regions.	– Rs.5000.00
Public carrier for more than two regions.	– Rs.7000.00
Private Motor cab (with seating capacity 9 in excluding).	– Rs.1000.00

(E)	For replacement of a vehicle covered by a permit or transfer or change in address of a permit holder.	–	Rs.1000.00
(F)	Fee for an Application for approval of a taxi meter.	--	Rs.1000.00
(G)	Fee for Transfer of a permit.	–	Rs.2000.00
(H)	Fee for issuance of a duplicate copy of a permit.	–	Rs.300.00

(I) The following fee payable related to permit:-

(i)	Application fee for change of time-table		Rs.3000.00
(ii)	process fee for each application and file of complain.	–	Rs.1000.00
(iii)	Application fee for temporary goods permit .	–	Rs.300.00
(iv)	Application fee for temporary passenger permit.	–	Rs.300.00
(v)	Application fee for temporary contract permit.	–	Rs.300.00
(vi)	Application fee for temporary permit of private Service Vehicle. (more than 9 seats extra driver)	–	Rs.300.00
(vii)	Application fee for permanent permit for national Permit holder goods vehicle.	–	Rs.500.00

(J) The following fee shall be for Appeal and revision:-

(i)	Application fee for appeal or revision of an order under rule, 89 of Motor Vehicle Act, 1988.	–	Rs.2000.00
(ii)	Fee for a certified copy of a document related to an Appeal or revision under rule, 89 of Motor Vehicle Act, 1988 or any rule made under it.	--	Rs.10.00 for first page and rupees 2.00 for every extra page.

3. Rule 31, rule 82 and rule 96 of Bihar Motor Vehicle rules, 1992 shall be substituted by the following respectively:-

31. Fee for issue of badge of driver/conductor:-

(i)	Fee for badge of driver .	-	Rs.100.00
(ii)	Fee for badge of conductor.	-	Rs.100.00

82. The following Late fee shall be payable if an owner of vehicle fails to apply for renewal within 15 days from the date of expiry of a Temporary Permit/ permanent Permit:-

	Duration		Amount of late fee
(i)	Up to expiry date or within 15 days of the expiry date	–	Rs. 00.00
(ii)	After the date of expiry but within 30 days	–	Rs. 300.00
(iii)	After 30 days of the date of expiry, but within 60 days of the date of expiry	–	Rs. 600.00
(iv)	After 60 days, but within 90 days after the date of expiry	–	Rs. 1200.00

6. Rule-163 C. of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following:-
163 C. The following payable fee for issue of certificate for pollution control and vehicle

test :-

Type of vehicle	New fixed rate	Amount payable to Government from the new fixed rate.
(1) Two wheeler.	Rs. 50.00	Rs. 20.00
(2) Three wheeler.	Rs. 80.00	Rs. 30.00
(3) Four wheeler.	Rs. 120.00	Rs. 40.00
(4) Medium vehicle.	Rs. 200.00	Rs. 80.00
(5) Heavy vehicle.	Rs. 500.00	Rs. 200.00

7. Sub Rule (4) of rule 163 G. of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following:-

(4) The following payable fee of Transport Commissioner under this rule:-

- (a) Fee for issue of licence of pollution testing centre for test of Motor vehicle. – Rs.12000.00
- (b) Fee for renewal of the licence of pollution testing centre for the test of Motor vehicle. – Rs.12000.00
- (c) Fee for issue of second licence of pollution testing centre for test of Motor vehicle. – Rs.500.00
- (d) Fee for appeal against order of the licensing authority as per sub rule (1) of 163(G) of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992. – Rs.1200.00
- (e) issue of licence/ renewal for test of Motor vehicle. – Rs. 3000.00
- (f) Fee for place change of pollution testing centre for test of Motor vehicle. – Rs. 3000.00
- (g) Fee for inspection of place change of pollution testing centre for test of Motor vehicle. – Rs. 2000.00

By order of the Governor of Bihar,
RAM KISHORE MISHRA,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 456-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>